



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सीकर मुकाम सीकर व इजलास  
पीठासीन अधिकारी, श्री पुष्कर राज शर्मा, आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी, सीकर

1. श्रीमती अणची बेवा घन्ना
2. सुरेश
3. मुकेश पुत्रगण घन्ना
4. परमेश्वर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती अणची समस्त जाति जाट नि० ग्राम देवीपुरा, सर्किट हाउस के पास, सीकर

वादीगण,

बनाम

1. घुनाराम
2. रामेश्वर पुत्रगण स्व० मूरा जाति जाट नि० ग्राम देवीपुरा, सर्किट हाउस के पास, तहसील सीकर। मृतक।
- 2/1 रामकुमारी पत्नी रामेश्वर
- 2/2 केशरसिंह
- 2/3 नेमीचंद
- 2/4 झाबरसिंह
- 2/5 सायर सिंह पुत्रगण रामेश्वर
- 2/6 सिणगारी
- 2/7 रत्नेश्वरी पुत्रियां रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम देवीपुरा, सर्किट हाउस के पास, सीकर।
3. तहसीलदार, सीकर।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कृषि उपज मंडी, सीकर।

प्रतिवादीगण,

संशोधित वाद बाबत विभाजन काश्त भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ।

मुकदमा नं० 381/14

प्राथमिक डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सीकर व हाजिरी वकील श्री महावीर प्रसाद गिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील, प्रभातीलाल प्रति०सं० 1 व श्री बजरंगलाल शर्मा, प्रति०सं० 2, मनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है कि राजस्व ग्राम देवीपुरा तहसील सीकर में स्थित विवादित कृषि भूमि ख०नं० 530 एवं 531/531 तथा ख०नं० 531/1 रकबा 0.08 है० में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड एवं उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार विवादित आराजी का बाई मिट्स एंड बाउण्डस विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, सीकर उक्तानुसार नियमानुसार विभाजन कीम तैयार कर प्रस्तुत करें।

जज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा  
स मुकदमें के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख तारीख  
तयामी तक ..... अदा करें।

सय मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5 माह 1 सन् 2015 को जारी की गई।



दस्तखत.....  
ओहदा.....  
उपखण्ड अधिकारी-सीकर

वक संघ, सीकर

7-10  
20-3